

// कार्यालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा //

Email- dmchhindwara@mp.gov.in

-:ज्ञापन:-

क्रमांक/स.अ.रा./2026

छिन्दवाड़ा दिनांक अगस्त, 2026

प्रति,

आयुक्त, नगर निगम,
छिन्दवाड़ा ।मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
छिन्दवाड़ा/चौरई/बिछुआ/अमरवाड़ा/हरई/परासिया/जुन्नारदेव/तामिया/मोहखेड़मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर पंचायत
चौरई/चांद/बिछुआ/अमरवाड़ा/हरई/परासिया/चांदामेटा/न्यूटन चिखली/ बड़कुही/ जुन्नारदेव/ दमुआ

विषय:- मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अंतर्गत तीर्थ यात्रा जिला छिन्दवाड़ा दिनांक 30 अगस्त 2026 से 02 सितम्बर 2026 मथुरा-वृन्दावन तीर्थ यात्रा के संबंध में ।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल क्रमांक एफ 4/0034/2026-MMTDY-MPDRTE I/1250623/2026 भोपाल दिनांक 19 अगस्त 2026 ।

-0-0-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से जिला छिन्दवाड़ा हेतु सारणी में दर्शाये अनुसार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की विशेष ट्रेन का कार्यक्रम प्राप्त हुआ है। जिले को प्राप्त लक्ष्य एवं कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क्रं	यात्रा स्थल	प्रस्थान एवं आगमन दिनांक	जिले को प्राप्त लक्ष्य	आवेदन प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि	कलेक्टर कार्यालय में आवेदन एवं तैयार सूची प्रेषित किये जाने की अंतिम तिथि	छिन्दवाड़ा जिले के यात्रियों के लिये ट्रेन जिस स्टेशन पर रूकेगी
1	मथुरा-वृन्दावन	30 अगस्त 2026 से 02 सितम्बर 2026	196 यात्री	24 अगस्त 2026 तक	25 अगस्त 2026	छिन्दवाड़ा रेलवे स्टेशन

- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम- 2012 एवं इस नियम में समय-समय पर संशोधित नियमों का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों जो 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति (महिलाओं के मामले में 02 वर्ष की छूट) जो आयकर दाता नहीं है, को प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से एक या दो युग्म स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना परिकल्पित की गई है।

➤ **तीर्थ दर्शन यात्रा हेतु पात्रता निम्नानुसार है:-**

- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आयकर दाता न हो।
- 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट अर्थात 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो।
- ऐसे दिव्यांग नागरिक जिनकी विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक हो, आयु का बंधन नहीं है।
- यदि पति-पत्नी साथ यात्रा करना चाहते हैं तो पति / पत्नी में से किसी एक को पात्रता होने पर जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकता है, भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो ।
- तीर्थ यात्रा हेतु समूह बनाकर आवेदन किया जा सकता है, समूह का मुखिया मुख्य आवेदक होगा। किन्तु ऐसा समूह 25 व्यक्तियों से अधिक का नहीं होगा।
- **नवीनतम प्रावधान अनुसार पूर्व में यात्रा किये पाच वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत पुनः यात्रा के लिए पात्र होंगे।**

- यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग जैसे – टी.बी., कोंजेक्टिव, कार्डियाक, शवास में अवरोध सम्बन्धी बीमारी, कोरोनरी अपर्याप्तता, कोरोनरीथ्रोम्बोसिस, मानसिक व्याधि, संक्रमण, कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित न हो।

संबंधित नगरीय निकाय एवं जनपद उपरोक्तानुसार पात्रता की जांच उपरान्त ही पात्र व्यक्तियों के आवेदनों को स्वीकार करें एवं इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

➤ **आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया :-**

- आवेदन निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में भरा हुआ प्राप्त करना।
- आवेदन पत्र हिंदी में भरा जाना है।
- आवेदन पत्र के साथ समग्र आईडी (SSSM) ।
- आवेदन के निर्धारित स्थान पर नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो लगा हो।
- आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य (प्रूफ ऑफ रेसीडेंस) के लिए निम्नलिखित में से **कोई एक दस्तावेज** प्रस्तुत करना होगा-

1. आधार कार्ड की प्रतिलिपि	2. ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि
3. विद्युत देयक की प्रतिलिपि	4. मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपि
5. राशन कार्ड की प्रतिलिपि	6. निवास के सम्बन्ध में अन्यकोई विधि मान्य दस्तावेज में से कम से कम एक दस्तावेज की प्रतिलिपि देना ।
- आपात स्थिति में निकट संबंधियों से संपर्क हेतु किन्हीं दो व्यक्तियों के मोबाइल नंबर तथा निवास का पता देना अनिवार्य है। कम से कम एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर आवश्यक है।
- यदि **आवेदक पति/पत्नी** में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा। आवेदक के जीवन-साथी की आयु 60 वर्ष से कम हो, तब भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगी/कर सकेगा। आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवनसाथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है। ऐसी स्थिति में उक्त जीवनसाथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा ।
- **65 वर्ष से अधिक आयु** के ऐसे व्यक्ति जिसने कि अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ **एक सहायक (आयु 18 से 50 वर्ष तक)** को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी।
- योजना के अन्तर्गत **65 वर्ष से अधिक आयु के पति-पत्नि** यदि साथ यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें भी **एक सहायक (आयु 18 से 50 वर्ष)** साथ ले जाने की पात्रता है।
- **दिव्यांग (60 प्रतिशत विकलांग)** व्यक्ति को भी **एक सहायक (आयु 18 से 50 वर्ष तक)** साथ ले जाने की पात्रता है।
- यदि **व्यक्तियों के समूह** एक साथ आवेदन करते हैं तो संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। उक्त समूह अधिक से अधिक 25 आवेदकों का हो सकेगा । समूह का एक आवेदक समूह का मुखिया कहलायेगा।

प्राप्त आवेदनों को निर्धारित प्रारूप में सूची तैयार कर कलेक्टर कार्यालय कक्ष क्रमांक 36 में पूर्व की भांती हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी ईमेल asrdmrevcdw@mp.gov.in में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे:-

➤ **"तीर्थ यात्रा हेतु आवेदनों को प्राप्त करना, सूची प्रारूप में तैयार करना एवं ऑनलाईन पोर्टल****<https://dpms.mp.nic.in> में दर्ज करना****1. एकल सदस्य (आयु 60 वर्ष से अधिक) द्वारा प्राप्त आवेदन - प्रारूप "A"****प्रारूप "A"****एकल सदस्य (आयु 60 वर्ष अथवा अधिक/महिला के मामले में 02 वर्ष की छूट 58 वर्ष अथवा अधिक) द्वारा प्राप्त आवेदन**

क्रमांक	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	निवास का पता	मोबाईल नंबर	समग्र आई.डी	आधार नंबर
1	यात्री का नाम						
2	यात्री का नाम						

2. दंपति (पति/पत्नी) द्वारा प्राप्त आवेदन - प्रारूप "B"**प्रारूप "B"****दंपति (पति/पत्नी) द्वारा प्राप्त आवेदन**

क्रमांक	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	निवास का पता	मोबाईल नंबर	समग्र आई.डी	आधार नंबर
1	पति का नाम						
	पत्नी का नाम						
2	पति का नाम						
	पत्नी का नाम						

3. दंपति (पति/पत्नी) (आयु 65 वर्ष अथवा अधिक) एवं सहायक द्वारा प्राप्त आवेदन - प्रारूप "C"**प्रारूप "C"****दंपति (पति/पत्नी) (आयु 65 वर्ष अथवा अधिक) एवं सहायक द्वारा प्राप्त आवेदन**

क्रमांक	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	निवास का पता	मोबाईल नंबर	समग्र आई.डी	आधार नंबर
1	पति का नाम						
	पत्नी का नाम						
	सहायक का नाम						
2	पति का नाम						
	पत्नी का नाम						
	सहायक का नाम						

4. एकल सदस्य (आयु 65 वर्ष अथवा अधिक) एवं सहायक द्वारा प्राप्त आवेदन - प्रारूप "D"**प्रारूप "D"****एकल सदस्य (आयु 65 वर्ष अथवा अधिक) एवं सहायक द्वारा प्राप्त आवेदन**

क्रमांक	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	निवास का पता	मोबाईल नंबर	समग्र आई.डी	आधार नंबर
1	एकल सदस्य 65 वर्ष अधिक आयु नाम						
	सहायक का नाम						
2	एकल सदस्य 65 वर्ष अधिक आयु नाम						
	सहायक का नाम						

5. दिव्यांग सदस्य द्वारा प्राप्त आवेदन - प्रारूप "E"**प्रारूप "E"****दिव्यांग सदस्य द्वारा प्राप्त आवेदन**

क्रमांक	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	निवास का पता	मोबाईल नंबर	समग्र आई.डी	आधार नंबर
1	एकल सदस्य 65 वर्ष अधिक आयु नाम						
	सहायक का नाम						
2	एकल सदस्य 65 वर्ष अधिक आयु नाम						
	सहायक का नाम						

6. समूह द्वारा प्राप्त आवेदन - प्रारूप "F"

प्रारूप "F"
समूह द्वारा प्राप्त आवेदन

क्रमांक	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	निवास का पता	मोबाईल नंबर	समग्र आई.डी	आधार नंबर
1	समूह के मुखिया का नाम						
	समूह सदस्य का नाम						
	समूह सदस्य का नाम						
2	समूह के मुखिया का नाम						
	समूह सदस्य का नाम						
	समूह सदस्य का नाम						

➤ देखभाल हेतु सहायक (18 से 50 वर्ष की आयु) की पात्रता निम्नानुसार है :-

- 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थ यात्री, 65 वर्ष से अधिक आयु के पति-पत्नी एवं 60 प्रतिशत से अधिक विकलांग वाले व्यक्ति को सहायक ले जाने की पात्रता है **(केयर टेकर) सहायक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए ।**
- समूह / जत्था के रूप में यात्रा करने पर 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को एक सहायक (केयर टेकर) की पात्रता होगी।

➤ चयन की प्रक्रिया :- यात्रियों का चयन अधोहस्ताक्षरकर्ता (कलेक्टर छिन्दवाड़ा) द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा :-

- निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर **कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी ऑनलाइन पोर्टल <https://dpms.mp.nic.in>** द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाएगी।
- चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के अनुक्रम अनुसार/प्राप्त आवेदनों से पूर्ति की जा सकेगी।

➤ यात्रा की प्रक्रिया :- ट्रेन जिस स्थान से प्रारंभ होगी उसी स्थान पर ही वापस आकर रुकेगी। ट्रेन जिन-जिन स्टेशनों से प्रारंभ होगी एवं रुकेगी वहां तक यात्री को स्वयं अपने व्यय से आना होगा उसके पश्चात यात्रा हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा परन्तु यदि कोई यात्री विशिष्ट सुविधायें का लाभ प्राप्त करता है, उसका व्यय यात्री स्वयं वहन करेगा। यात्रियों से अपेक्षा है कि वे मौसम के अनुरूप आवश्यक सामान साथ में रखे।➤ अन्य व्यक्तियों के यात्रा करने पर प्रतिबंध:- केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन इस योजना के अंतर्गत यात्रा हेतु किया गया है, इस यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को, भले ही वह यात्रा का व्यय देने हेतु तैयार हो, यात्रा में साथ नहीं ले जा सकेगा।➤ यात्रा के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियां:- यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।➤ आवश्यक दिशा निर्देश :- विभाग प्रमुख नियमानुसार आवेदन पत्र प्राप्त करें तथा इस कार्यालय को समय-सीमा में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अपात्र यात्रियों के नाम पाये जाते हैं तो उसकी समस्त जवाबदारी आपकी होगी।

- यात्रा के लिये आवेदक यात्री का नाम चयन होने पर वह किसी अपरिहार्य कारणों से यात्रा में अनुपस्थित रहता है तो उसे तुरंत परिचय पत्र (यात्रा टिकट) अधोहस्ताक्षरकर्ता को लौटावेगा। आप अपने स्तर से परिचय पत्र (यात्रा टिकट) आवंटित नहीं करेंगे।

➤ ट्रेन की समय सारणी एवं अन्य निर्देशों से आपको पृथक से अवगत कराया जावेगा।

- छिन्दवाड़ा जिले के शहरी क्षेत्रों के आवेदन संबंधित नगर निगम/नगर पालिका एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदन संबंधित जनपद पंचायत में आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

इस संबंध में शासन के समस्त निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन पत्र एकत्रित करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावे एवं प्राप्त आवेदनों की पूर्ण रूप से जांच करते हुये ही आवेदन इस कार्यालय को समय सीमा के भीतर भेजा जाना सुनिश्चित करें और इस संबंध में विशेष ध्यान दिया जावे कि आवेदन पूर्ण रूप से हिन्दी भाषा में भरे हो एवं स्वच्छ हो समस्त कंडिकाओं की पूर्ति की गई है संलग्न दस्तावेज की जांच कर ली गई है, शासकीय चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय प्रमाण पत्र में स्वास्थ्य तंदुरुस्त होना संबंधी टीप अंकित की गई है एवं पूर्व में यात्रा नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त यात्रा का **व्यापक प्रचार-प्रसार** किया जाकर आवेदन पत्र एकत्रित किये जाकर आवेदनों को निर्धारित प्रारूप में दर्ज किये जाकर सारणी में दर्शाये गई अंतिम तिथि के पूर्व तक आवेदन पत्र एवं तैयार सूची Excel file अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये।

(धीरेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त कलेक्टर,
जिला - छिन्दवाड़ा

छिंदवाड़ा दिनांक अगस्त, 2026

पृ0क्र0/ स0अ0रा0/2026

प्रतिलिपि:-

- 1- उपसचिव मध्यप्रदेश शासन अध्यात्मक, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- निज सचिव, माननीय विधायक.....की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- 3- पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सर्व संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास छिंदवाड़ा की ओर जिला छिंदवाड़ा के ग्रामीण आदिवासी अंचलो में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु प्रेषित।
- 7- **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया जिले के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनान्तर्गत तीर्थ यात्रियों के आवेदनों पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।**
- 8- **सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनान्तर्गत तीर्थ यात्रियों के आवेदनों पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय में चिकित्सक की नियुक्ति करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।**
- 9- जिला जनसंपर्क अधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित किये जाने हेतु अग्रेषित।
- 10- उप निर्देशक, अभियंत्री आकाशवाणी छिंदवाड़ा की ओर निःशुल्क प्रचार करने हेतु अग्रेषित।

अतिरिक्त कलेक्टर
जिला - छिंदवाड़ा।

**मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004**

// आदेश //

क्रमांक एफ 4/0034/2026-MMTDY-MPDRTE

भोपाल, दिनांक 19/08/2026

प्रति,

कलेक्टर,

जिला - दमोह, शहडोल, सिंगरौली, पाण्डुरना, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, उज्जैन, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, खंडवा, खरगोन, आगर मालवा, रतलाम, नीमच, धार, झाबुआ, शाजापुर, राजगढ़, निवाड़ी, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, इंदौर, बड़वानी, अलीराजपुर, देवास, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, भोपाल, रायसेन, मध्यप्रदेश।

विषय:- मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अंतर्गत तीर्थ यात्रा दिनांक 29.08.2026 से 24.10.2026 तक।

-----00-----

विषयांतर्गत कृपया धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम-2012 एवं इस नियम में समय-समय पर संशोधित नियमों (विभागीय वेबसाइट www.dharmasva.mp.gov.in पर उपलब्ध) का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों जो 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति (महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट) जो आयकरदाता नहीं हैं, को प्रदेश/ प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से एक या युग्म तीर्थों की यात्रा सुलभ कराने हेतु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना परिकल्पित की गयी है।

1. योजना का क्रियान्वयन **IRCTC** (Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited), जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, के द्वारा किया जा रहा है। यात्रा **IRCTC** के पैकेज के अनुसार की जायेगी। ट्रेन जिस स्थान से प्रारंभ होगी उसी स्थान पर ही वापस आकर रुकेगी। यात्रियों का चयन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। चयन के पश्चात कलेक्टर यात्रियों की एक-एक सूची संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, सिंहस्थ मेला कार्यालय, कोठी रोड उज्जैन तथा **IRCTC** के पर्यावास भवन, भोपाल स्थित कार्यालय को उपलब्ध करायेगा। उक्त सूची एवं आनुषंगिक कागजातों को स्थायी अभिलेख के रूप में कलेक्टर द्वारा संधारित किया जावेगा।
2. तीर्थ यात्रियों को विशेष ट्रेन द्वारा प्रस्थान के स्टेशन से लेकर यात्रियों को वापस उसी स्टेशन पर पहुँचाने की जिम्मेदारी **IRCTC** की रहेगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को पेयजल, भोजन, नाश्ता एवं चाय आदि **IRCTC** उपलब्ध करायेगा। यात्रियों के रुकने की व्यवस्था, उन्हें तीर्थ स्थल तक बसों द्वारा ले जाने, वापस ट्रेन में लाने एवं गाइड आदि की व्यवस्था भी **IRCTC** करेगा।
3. ट्रेन जिन-जिन स्टेशनों से प्रारंभ होगी एवं रुकेगी वहाँ तक यात्री को स्वयं अपने व्यय से आना होगा। उसके पश्चात यात्रा हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा। **जिन जिलो/जिला मुख्यालयों में स्टेशन/स्टॉपेज नहीं है, संबंधित जिला कलेक्टर तीर्थयात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन तक लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।** यदि कोई यात्री विशिष्ट सुविधायें का लाभ प्राप्त करता है, उसका व्यय यात्री स्वयं वहन करेगा। यात्रियों से अपेक्षा है कि वे मौसम के अनुरूप वस्त्र, ऊनी वस्त्र, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री यथा कंबल, चादर, तौलिया, साबुन, कंघा, आवश्यक दवाईयां, दाढ़ी बनाने का सामान आदि साथ में रखें। तीर्थ यात्री अपने साथ ओरीजनल आधार कार्ड/वोटर कार्ड अनिवार्य रूप से रखें। ऐसे तीर्थ स्थल जो पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं कि यात्रा के पूर्व यात्रा हेतु स्वस्थ होने संबंधी प्रमाण पत्र जिले में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. ट्रेन में उपलब्ध बर्थों के विरुद्ध तीर्थ यात्रियों/ सहायकों/ अनुरक्षक (एस्कार्ट) के रूप में शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को भेजा जाना है। ट्रेनों में उपलब्ध बर्थों एवं अनुरक्षकों की संख्या को प्रत्येक जिले के लिये आवंटित किया गया है, ट्रेन जिस जिले से प्रारंभ होगी उसी **जिले से सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी।**

5. आवेदक एक या एक से अधिक स्थान के लिये यात्रा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु वह केवल एक ही स्थान की यात्रा कर सकेगा। यदि लाटरी में एक से अधिक स्थानों की यात्रा हेतु आवेदक का चयन होता है तब जिस स्थान की यात्रा में उसका नाम चयन सूची में ऊपर है उस स्थान के लिये उसे चयनित समझा जायेगा। यदि किसी व्यक्तिका चयन किसी यात्रा के लिये हो जाता है और यदि उसके पश्चात आयोजित होने वाली यात्रा की चयन सूची में भी उसका नाम है तब बाद वाली चयन सूची से उसका नाम हटा दिया जायेगा।
6. जिला कलेक्टर पूर्वानुसार योजना का प्रचार-प्रसार स्थानीय अखबारों में विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करेंगे। उक्त आवेदन निकटतम तहसील, स्थानीय निकाय, जनपद कार्यालय अथवा कलेक्टर द्वारा निर्धारित अन्य विज्ञप्ति स्थानों पर जमा किये जा सकेंगे।
7. जिस जिले से ट्रेन आरंभ होगी उस जिले से संबंधित जिले के कलेक्टर ट्रेन में तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु एक शासकीय डॉक्टर की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करेंगे। ड्यूटी डॉक्टर चाहे तो अपने साथ सहायक को भी यात्रा में ले जा सकते हैं। डॉक्टर का मोबाइल नम्बर **IRCTC** को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. यदि जिले को आवंटित निर्धारित कोटे से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में यात्रियों का चयन कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी से किया जाये। निर्धारित कोटे से 10 प्रतिशत अतिरिक्त तीर्थ यात्रियों की पृथक से प्रतीक्षा सूची तैयार करेंगे। किसी कारण से कतिपय तीर्थ यात्री यात्रा में जाने में असमर्थ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रतीक्षा सूची के अनुक्रम अनुसार तीर्थ यात्रियों को यात्रा पर भेजे जा सकते हैं। इसी प्रकार किसी जिले को आवंटित यात्रियों का कोटा पूर्ण नहीं होने पर उसे अन्य जिले की प्रतीक्षा सूची/प्राप्त आवेदनों से पूर्ति की जा सकेगी।
9. कलेक्टर्स एवं प्रबंधक, **IRCTC** को निम्नलिखित निर्देश जारी किये जा रहे हैं इनका पालन करना सुनिश्चित करें:-
 - (i) मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में किसी भी स्थिति में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति ट्रेन में प्रवेश नहीं करें। यात्रा के दौरान जांच में अनाधिकृत व्यक्ति पाये जाने पर उसे उसी स्टेशन पर उतारा जा सकता है। अनाधिकृत व्यक्तियों के यात्रा करने पर उस व्यक्ति से, उससे संबंधित जिले के अनुरक्षकों एवं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से व्यय राशि वसूल की जावेगी।
 - (ii) समस्त कलेक्टर्स मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना यात्रा का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें किसी भी स्थिति में निर्धारित कोटे से कम तीर्थ यात्री नहीं होना चाहिये एवं **जिले के समस्त विकासखण्डों एवं नगरीय निकायों से आवेदन पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये।** तीर्थ यात्रियों की निर्धारित पात्रता का परीक्षण किया जावे एवं सूची निर्धारित समयवधि में संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एवं प्रबंधक, **IRCTC** को उपलब्ध कराई जावे ताकि तीर्थ यात्रियों के टिकिट बनवाने में असुविधा न हो।
 - (iii) प्रबंधक **IRCTC** यह सुनिश्चित करें कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन निर्धारित तिथि व समय पर संबंधित जिले में पहुँच सके ताकि तीर्थ यात्रियों को परेशानी न हो। ट्रेन के समय में अनावश्यक विलंब न हो। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत संबंधित तीर्थ यात्रियों को उत्तम गुणवत्ता का भोजन, नाश्ता एवं शुद्ध पेयजल (कम से कम 2 मिनरल वाटर की बोतलें प्रतिदिन) दी जावे।
 - (iv) मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जाने वाले अनुरक्षक ट्रेन के प्रस्थान होने के उपरांत प्रति चार घंटे बाद तीर्थ यात्रियों की कुशलता के संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टर एवं जिले के नोडल अधिकारी, कार्यालय संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को अवगत कराएंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि तीर्थ यात्रियों को निर्धारित समय पर नाश्ता, भोजन एवं पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो।
 - (v) जिले से एक पर्यवेक्षक (एक अनुरक्षक के स्थान पर) जो पद में तहसीलदार अथवा उसके समकक्ष हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में तीर्थ यात्रियों के साथ ट्रेन में यात्रा करेगा एवं **IRCTC** द्वारा की गयी समस्त व्यवस्थाएं (भोजन, नाश्ता, पेयजल, शौचालय की स्थिति, तीर्थ स्थल पर रूकने की व्यवस्था) के संबंध में प्रतिवेदन कलेक्टर के माध्यम से राज्य शासन को प्रेषित करेगा।
10. संबंधित कलेक्टर यात्रियों की सूची (**Hardcopy** एवं **Softcopy** ई-मेल dndvmp@gmail.com पर) संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एवं अपर महाप्रबंधक (पर्यटन) **IRCTC** क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल को ई-मेल एड्रेस **irctc.bpl@gmail.com** पर उपलब्ध कराएंगे। तीर्थ यात्रियों की एक सूची संबंधित संभागायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। कलेक्टर चयनित तीर्थ यात्रियों को रेल प्रस्थान की तिथि, समय एवं स्थान से अवगत करायेंगे। **IRCTC** तीर्थ यात्रियों की यात्रावार अभिप्रमाणित सूची विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(अधिक जानकारी के लिये संचालनालय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व कार्यालय उज्जैन का दुरभाष नम्बर-0734-2991135 एवं ई-मेल dndvmp@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, साथ ही धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की वेबसाईट www.dharmasva.mp.gov.in से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से संबंधित आदेश, नियम, परिपत्र तथा आवेदन पत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं। **IRCTC के महत्वपूर्ण नम्बर Tel: 0755-4285226** श्री राहुल होल्कर, कार्यपालक(पर्यटन) मो.नं. 8287931729 श्री राजेन्द्र बोरबन, संयुक्त महाप्रबंधक (पर्यटन) मो.नं.8287931608, ई-मेल irctc.bpl@gmail.com

11. यात्रा एवं आवेदन का कार्यक्रम:-

क्र	तीर्थ स्थान का नाम	यात्रा से संबंधित जिला	आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	संचालक, तीर्थ दर्शन एवं IRCTC को सूची उपलब्ध कराने की दिनांक	यात्रा प्रारंभ होने की संभावित दिनांक
1	कामाख्या	दमोह, शहडोल, सिंगरौली	25.08.2026	27.08.2026	29.08.2026
2	मथुरा-वृन्दावन	पांडुरना, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल	25.08.2026	27.09.2026	30.08.2026
3	रामेश्वरम	भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर	01.09.2026	03.09.2026	07.09.2026
4	अयोध्या-काशी(वाराणसी)	मंदसौर, उज्जैन, श्योपुर	01.09.2026	03.09.2026	07.09.2026
5	डॉ. अंबेडकर, चैत्यभूमि स्मारक, मुम्बई	मुरैना, ग्वालियर, दतिया, खंडवा, खरगोन	09.09.2026	11.09.2026	15.09.2026
6	हरिद्वार-ऋषिकेश	उज्जैन, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच	09.09.2026	11.09.2026	16.09.2026
7	द्वारका-सोमनाथ	दमोह, धार, झाबुआ	14.09.2026	16.09.2026	21.09.2026
8	वाराणसी-गया	शाजापुर, राजगढ़, गुना, निवाड़ी,	15.09.2026	19.09.2026	26.09.2026
9	वाराणसी-गया	सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर	18.09.2026	24.09.2026	29.09.2026
10	वाराणसी-गया	इंदौर, बड़वानी, अलीराजपुर, देवास, उज्जैन	23.09.2026	27.09.2026	04.10.2026
11	जगन्नाथपुरी	दमोह, उमरिया, अनूपपुर	23.09.2026	27.09.2026	08.10.2026
12	तिरुपति - श्रीकालहस्ती	सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर	23.09.2026	27.09.2026	12.10.2026
13	अयोध्या-काशी(वाराणसी)	बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी	23.09.2026	27.09.2026	22.10.2026
14	श्रवणबेलगोला	पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, भोपाल, रायसेन	23.09.2026	27.09.2026	24.10.2026

12. यात्री ट्रेन के कार्यक्रम, स्टेशन, प्रस्थान/आगमन, दिनांक एवं जिलों को आवंटित कोटा की जानकारी निम्न सारणी अनुसार है:-

क्र.	ट्रेन के प्रारंभ होने का स्थान तथा जिन स्टेशनों पर रुकेगी	प्रस्थान एवं आगमन की दिनांक	जिलों के नाम	आवंटित बर्थों की संख्या	अनुरक्षकों एवं सुरक्षाकर्मियों की संख्या
1	दमोह, ब्यौहारी(शहडोल), सिंगरौली कामाख्या (व्हाया रांची) सिंगरौली, ब्यौहारी(शहडोल), दमोह	29.08.2026 03.09.2026	दमोह शहडोल सिंगरौली	479 150 150	10+5(सुरक्षाकर्मियों) 3 3
2	छिंदवाडा (छिंदवाडा,सिवनी), आमला(पांडुरना), बैतूल मथुरा-वृन्दावन बैतूल, आमला(पांडुरना), छिंदवाडा(छिंदवाडा,सिवनी)	30.08.2026 02.09.2026	पांडुरना सिवनी छिंदवाडा बैतूल	191 196 196 196	4+5(सुरक्षाकर्मियों) 4 4 4
3	भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर रामेश्वरम् अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, भिंड	07.09.2026 12.09.2026	भिंड शिवपुरी गुना अशोकनगर	191 196 196 196	4+5(सुरक्षाकर्मियों) 4 4 4
4	मंदसौर, उज्जैन, शिवपुरी(श्योपुर) अयोध्या-काशी(वाराणसी) शिवपुरी(श्योपुर), उज्जैन, मंदसौर	07.09.2026 12.09.2026	उज्जैन मंदसौर श्योपुर	256 262 262	5+5(सुरक्षाकर्मियों) 5 5
5	मुरैना, ग्वालियर, दतिया, खंडवा(खंडवा, खरगोन) डॉ. अम्बेडकर चैत्यभूमि स्मारक,मुंबई खंडवा(खंडवा, खरगोन), दतिया, ग्वालियर, मुरैना	15.09.2026 18.09.2026	मुरैना ग्वालियर दतिया खंडवा खरगोन	156 156 156 156 156	3+5(सुरक्षाकर्मियों) 3 3 3 3
6	उज्जैन (उज्जैन,आगर-मालवा), रतलाम, मंदसौर, नीमच हरिद्वार-ऋषिकेश नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन (उज्जैन, आगर-मालवा)	16.09.2026 19.09.2026	उज्जैन आगर मालवा रतलाम मंदसौर नीमच	156 156 156 156 156	3+5(सुरक्षाकर्मियों) 3 3 3 3
7	दमोह, रतलाम(धार), मेघनगर(झाबुआ) द्वारका-सोमनाथ मेघनगर(झाबुआ), रतलाम(धार), दमोह	21.09.2026 26.09.2026	दमोह धार झाबुआ	479 150 150	10+5(सुरक्षाकर्मियों) 3 3
8	शाजापुर, ब्यावरा(राजगढ़), गुना, झांसी(निवाड़ी) काशी(वाराणसी)-गया झांसी(निवाड़ी), गुना, ब्यावरा(राजगढ़), शाजापुर	26.09.2026 01.10.2026	शाजापुर राजगढ़ गुना निवाड़ी	191 196 196 196	4+5(सुरक्षाकर्मियों) 4 4 4

9	सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर काशी(वाराणसी)-गया जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सीहोर	29.09.2026 04.10.2026	सीहोर नर्मदापुरम नरसिंहपुर जबलपुर	191 196 196 196	4+5(सुरक्षाकर्मी) 4 4 4
10	इंदौर(इंदौर, बड़वानी, अलीराजपुर), देवास, उज्जैन काशी(वाराणसी)-गया उज्जैन, देवास, इंदौर(इंदौर, बड़वानी, अलीराजपुर)	04.10.2026 09.10.2026	इंदौर बड़वानी अलीराजपुर देवास उज्जैन	156 156 156 156 156	3+5(सुरक्षाकर्मी) 3 3 3 3
11	दमोह, उमरिया, अनूपपुर जगन्नाथपुरी अनूपपुर, उमरिया, दमोह	08.10.2026 13.10.2026	दमोह उमरिया अनूपपुर	479 150 150	10+5(सुरक्षाकर्मी) 3 3
12	रीवा(सीधी, मऊगंज, रीवा), सतना, मैहर तिरूपति-श्रीकालहस्ती मैहर, सतना, रीवा(सीधी, मऊगंज, रीवा),	12.10.2026 18.10.2026	सीधी रीवा मऊगंज सतना मैहर	156 156 156 156 156	3+5(सुरक्षाकर्मी) 3 3 3 3
13	बालाघाट, नैनपुर(मंडला), जबलपुर (डिंडोरी) अयोध्या-काशी(वाराणसी) जबलपुर(डिंडोरी), नैनपुर(मंडला), बालाघाट	22.10.2026 27.10.2026	बालाघाट मंडला डिंडोरी कटनी	191 196 196 196	4+5(सुरक्षाकर्मी) 4 4 4
14	खजुराहो(पन्ना), छतरपुर, टीकमगढ़, बीना(सागर, दमोह), भोपाल श्रवणबेलगोला भोपाल, बीना(सागर, दमोह), टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो(पन्ना),	24.10.2026 29.10.2026	पन्ना छतरपुर टीकमगढ़ सागर दमोह भोपाल रायसेन	113 113 111 111 111 111 111	2+5(सुरक्षाकर्मी) 2 2 2 2 2 2 2

13. निम्नानुसार जिन जिलो/जिला मुख्यालयों में स्टेशन/स्टॉपेज नहीं है, संबंधित जिला कलेक्टर तीर्थयात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन तक लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

क्रं.	तीर्थ यात्रा का नाम	यात्रा प्रारंभ होने की दिनांक	यात्रा से संबंधित जिला	बोर्डिंग स्टेशन
1	कामाख्या	29.08.2026	शहडोल	ब्यौहारी
2	मथुरा-वृन्दावन	30.08.2026	सिवनी	छिंदवाड़ा
3	मथुरा-वृन्दावन	30.08.2026	पाँदुरना	आमला
4	अयोध्या-काशी(वाराणसी)	07.09.2026	श्यापुर	शिवपुरी
5	हरिद्वार-ऋषिकेश	16.09.2026	आगरमालवा	उज्जैन
6	डॉ. अम्बेडकर चैत्यभूमि स्मारक, मुंबई	15.09.2026	खरगोन	खंडवा
7	द्वारका-सोमनाथ	21.09.2026	धार	रतलाम
8	द्वारका-सोमनाथ	21.09.2026	झाबुआ	मेघनगर

9	काशी(वाराणसी)-गया	26.09.2026	राजगढ़	ब्यावरा
10	काशी(वाराणसी)-गया	26.09.2026	निवाड़ी	झांसी
11	काशी(वाराणसी)-गया	04.10.2026	बड़वानी, अलीराजपुर	इंदौर
12	तिरूपति-श्रीकालहस्ती	12.10.2026	सीधी, मऊगंज	रीवा
13	अयोध्या-काशी(वाराणसी)	22.10.2026	मंडला	नैनपुर
14	अयोध्या-काशी(वाराणसी)	22.10.2026	डिंडोरी	जबलपुर
15	श्रवणबेलगोला	24.10.2026	पन्ना	खजुराहो
16	श्रवणबेलगोला	24.10.2026	सागर, दमोह	बीना
17	श्रवणबेलगोला	24.10.2026	रायसेन	भोपाल

14. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रारंभ कर तत्काल अवगत करावें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,

तथा आदेशानुसार

Digitally signed by

ANNU BHALAVI

Date: 19-08-2026

11:55:53

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 19/08/2026

पृ. क्रमांक एफ 4/0034/2026-MMTDY-MPDRTE

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
02. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. विशेष सहायक, राज्यमंत्री(स्व. प्र.), धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
04. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
05. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
06. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
07. संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. अपर महाप्रबंधक(पर्यटन) IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
09. गार्ड फाईल।

(Digitally Signed)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग